फर्द अहकाम

ICICI बनाम मै० चन्द्रा एन्टरप्राईज

न्यायालय

संख्या 230 / 2024

क्रमांक	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	21/11/24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी पक्ष उप० P० महो० माफ कियर राजकार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली युवाकुमार साबिक कार्यवाही दिनांक 5-12-24 को पेश हो। रीडर न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर	
	5-12-24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित है। वकील प्रार्थी ने प्रा० पत्र को आगे नहीं चलाने का कथन कर नोट प्रेस किया है। अतः प्रार्थी के वकील द्वारा नोट प्रेस किये जाने से धारा 14 लिटिगेशन एक्ट को प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो। जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर	Note press Adv Recommend 5/12/24

Scanned with OKEN Scanner